

भारत की जमानत प्रणाली के संबंध में कौन सी चर्चाएँ हैं?

- **वचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात:** भारत के कारागारों में बंद 75% से अधिक कैदी वचाराधीन हैं तथा कारागारों में कष्टमता से अधिक कैदी हैं।
 - यह स्थिति जमानत प्रणाली में प्रणालीगत अकुशलता को दर्शाती है जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने [\[2022\] 10 SCC 1, 2022](#) मामले में वचाराधीन कैदियों से संबंधित मुद्दे को पहचानने और जमानत देने में देश की जमानत प्रणाली की वफ़िलता को स्वीकार किया।
- **'नरिदोषता की धारणा' के सिद्धांत का कमज़ोर होना:** कारागारों में वचाराधीन कैदियों की अधिकता से 'नरिदोषता की धारणा' का सिद्धांत कमज़ोर होता है।
 - नरिदोषता की धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक नरिदोष माना जाएगा जब तक कि उसे कानून के अनुसार दोषी साबित न कर दिया जाए।
- **अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव:** वचाराधीन कैदियों की जनसांख्यिकी, अपराधों की श्रेणी और जमानत के लिये समयसीमा, जमानत के लिये आवेदन करने वाले वचाराधीन कैदियों का अनुपात, जमानत आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति दर तथा जमानत अनुपालन में चुनौतियों के संबंध में जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- **सुरक्षा उपायों का अभाव:** किसी व्यक्ति की गरिफ्तारी को ऐसी परिस्थिति में 'आवश्यक' माना जाता है यदि पुलिस के पास यह 'वश्वास करने का वैध कारण' हो कि न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये गरिफ्तारी आवश्यक है।
 - अनेक गरिफ्तार व्यक्ति (वशिषकर समाज के वंचित वर्ग) असुरक्षित रहते हैं।
- **जमानत संबंधी नरिणय में चुनौतियाँ:** जमानत देने की शक्ति काफी हद तक न्यायालय के वक्क पर आधारित है और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर नरिभर करती है।
 - अपराध की गंभीरता, अभ्युक्त के चरित्र और अभ्युक्त के फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना के आधार पर जमानत देने से मना किया जाता है।
- **जमानत अनुपालन में चुनौतियाँ:** जमानत शर्तों का अनुपालन करने में चुनौतियों के कारण जमानत मलिन के बावजूद बड़ी संख्या में वचाराधीन कैदी कारागारों में ही रह रहे हैं।
 - नकद बॉण्ड, जमानत बॉण्ड, संपत्तिके स्वामित्व और शोधन कष्टमता को प्रमाण के रूप में माने जाने से जमानत की शर्तें नरिधनों की रहिई सुनिश्चित करना जटिल बना देती है।
- **दोषपूर्ण धारणाएँ:** जमानत प्रणाली में ऐसी दोषपूर्ण धारणाएँ नरिहित हैं कि प्रत्येक गरिफ्तार व्यक्ति के पास संपत्ति होगी या उसके संपत्तिके वाले लोगों से सामाजिक संबंध होंगे।
 - इसमें यह माना गया है कि अभ्युक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय हानि का जोखिम सुनिश्चित करना आवश्यक है।

जमानत प्रणाली के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्या फैसले हैं?

- [\[2022\] 10 SCC 1, 2022](#), 1978: सामान्यतः जमानत तब तक नहीं दी जानी चाहिये जब तक यह संभावना हो कि अभ्युक्त फरार हो जाएगा या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- [\[2022\] 10 SCC 1, 2022](#), 1978: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जमानत नयिम है और जेल अपवाद है।
 - किसी व्यक्ति को हरिसत में लेने से उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है और हरिसत का मुख्य उद्देश्य अभ्युक्त को बना किसी असुविधा के मुकदमे की प्रक्रिया को पूरा करना है।
- [\[2022\] 10 SCC 1, 2022](#): इसमें कहा गया कि जमानत की शर्तें इच्छति उद्देश्य की तुलना में अत्यधिक नहीं होनी चाहिये।
- [\[2022\] 10 SCC 1, 2022](#): न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सख्त जमानत शर्तों से अभ्युक्त असंगत रूप से प्रभावित न हो।

आगे की राह

- **जमानत की शर्तों का सरलीकरण:** जमानत की शर्तों का पुनर्मूल्यांकन और सरलीकरण किया जाना चाहिये ताकि उन्हें अधिक सुलभ (वशिष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिये) बनाया जा सके।
 - उदाहरण के लिये नकदी और जमानत बॉण्ड के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा को आधार बनाना।
- **मनमाने ढंग से की जाने वाली गरिफ्तारी के वरिद्ध सुरक्षा उपाय:** मनमाने ढंग से की जाने वाली गरिफ्तारी के वरिद्ध सुरक्षा (वशिष रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये) हेतु सख्त दशिा-नरिदेश एवं सुरक्षा उपाय लागू किये जाने चाहिये।
 - पुलिस द्वारा गरिफ्तारी के लिये स्पष्ट औचितिय बताना चाहिये।
- **समुदाय-आधारित पर्यवेक्षण कार्यक्रम:** कारावास के विकल्प के रूप में समुदाय-आधारित पर्यवेक्षण कार्यक्रम वकिसति करने चाहिये।
 - इन कार्यक्रमों में केवल जमानत पर नरिभर रहने के बजाय, स्थानीय संगठनों या सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से वचाराधीन कैदियों की नगरिनी किया जाना, शामिल हो सकता है।
- **छोटे अपराधियों के लिये विकल्प:** मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे छोटे अपराधियों को सुधारगृहों में रहने का आदेश दिया जा सकता है, जहाँ वे स्वयंसेवी कार्य जैसे उपयोगी शर्म में संलग्न हो सकते हैं।
- **शीघ्र सुनवाई:** न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अमतिाव रॉय की अध्यक्षता वाली जेल सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय की समतिने इस बात पर बल दिया कि जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिये त्वरति सुनवाई एक प्रभावी साधन हो सकती है।
- **पर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** वधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट “ बेहतर बुनियादी ढाँचे के माध्यम से न्याय प्रदान करने का मूल्यांकन करने संबंधी अनुभवजन्य अध्ययन” में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि न्यायालय कक्षों में वृद्धि, फरनीचर की उपलब्धता, डिजिटल

बुनियादी ढाँचे और कुशल जनशक्ति से वचिराधीन कैदियों की संख्या में कमी आ सकती है।

- स्पष्ट कानूनी प्रावधान: स्पष्ट रूप से परिभाषित कानून से व्यक्तियों को अधिकारों एवं ज़िम्मेदारियों को समझने में मदद मिलती है, जिससे गलतफहमी के कारण लंबे समय तक हरिसत में रहने की संभावना में कमी आती है।

?????? ???? ?????:

प्रश्न: भारत में ज़मानत से संबंधित चुनौतियों का परीक्षण करते हुए अधिक न्यायसंगत ज़मानत प्रावधान ढाँचे हेतु उपाय बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये: (2021)

1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार परस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं कथिया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लयि राज्य सरकारों के अपने नयिम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

??????

Q. चर्चा कीजिये कि उभरती प्रौद्योगकियिँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्डरगि में कसि प्रकार योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्डरगि की समस्या से नपिटने के लयि वसितुत उपाय सुझाइये। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reforming-bail-provisions>